Section 172 : Removal of difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by a general or a special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of [1]**[**five years**]** from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament.

---

1 Substituted for "three years" by Finance Act, 2020, (No. 12 of 2020). It is made effective from 30-06-2020 by Noti. No. 49/2020–Central Tax, dt. 24-06-2020.

धारा 172 : कठिनाईयों को दूर करना

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [1][पांच वर्ष] की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''तीन वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया।